# जिला निर्वाचन कार्यालय, प्रतापगढ़ |

दिव्यांग मतदाताओं का शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने के लिए जनपद- प्रतापगढ़ की कार्य योजना:-

योजना का नाम-

## “ नई मंजिल नई राहें ”

(महेंद्र बहादुर सिंह)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी /
मुख्य विकास अधिकारी,प्रतापगढ़

डॉ० आदर्श सिंह(आई०ए०एस०)
जिला निर्वाचन अधिकारी /
जिलाधिकारी,प्रतापगढ़

# प्रस्तावना

किसी भी लोकतन्त्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें भाग लेने वाले मतदाता अपने मताधिकारों के प्रति कितने जागरूक एवं अन्य मतदाताओं का भी उनके मताधिकारों के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक करने तथा उनको मतदान करने हेतु प्रेरित करने एवं मतदान में उनकी सहायता कर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में कितनी सहयोग प्रदान करते है।

विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 के कार्यक्रमों की तैयारी एवं क्षेत्र भ्रमण के समय प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद प्रतापगढ़ में मतदान करने वाले मतदाताओं में एक वर्ग दिव्यांग मतदाताओं का भी है। जो कि अपनी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता के कारण मतदान प्रक्रिया में बहुत कम भाग ले पाते है। जिससे मतदान के प्रतिशत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही एक मजबूत लोकतन्त्र की संकल्पना का उद्देश्य भी अपेक्षा1ृत पूर्ण नहीं हो पाता है। इसी क्रम में जनपद प्रतापगढ़ में दिव्यांग मतदाताओं को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने एवं इनका शत–प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने हेतु '' **नई मंजिल नई राहेः**'' नांमक विशेष अभियान संचालित करने की संकल्पना की गयी है।

आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये जनपद स्तर पर समय–समय पर चुनाव आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में अनेक कदम उठाये गये है। इसी क्रम में जनपद प्रतापगढ़ में दिब्यांग मतदाताओं को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने एवं उनका शत–प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने हेतु ,'' **नई मंजिल नई राहे** '' नांमक विशेष अभियान संचालित करने की संकल्पना की गयी है। इस कार्यक्रम के तहत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांग मतदाताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हुए उनमें मताधिकार के प्रति उत्साह बढाकर एवं जिम्मेदार नागरिक होने की अनुभूति कराकर लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी भूमिका अदा करने का विश्वास पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस बुकलेट में जनपद– प्रतापगढ़ स्तर पर ''**नई मंजिल नई राहे**'' कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये उठाये जा रहे कदमों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गयी है, तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जनपद के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, इलेक्ट्रांनिक, सोशल, एवं प्रिन्ट मीडिया, मतदाता मित्र एवं समाज के समर्पित जागरूक व्यक्तियों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते समुचित प्रयास करते हुये दिव्यांग मतदाताओं का मनोबल बढ़ाकर तथा उनका सशक्तिकरण कर शतप्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने सम्बन्धी कार्यक्रम को सफल बनाये जाने का संकल्प लिया गया है।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि '' **नई मंजिल नई राहे''** कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गो, अधिकारियों व कर्मचारियों, मीडिया बन्धुओं एवं समर्पित कार्यकताओं तथा जनता का अपेक्षित

सहयोग प्राप्त कर दिव्यांगों का शत–प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराकर इस कार्यक्रम को सफल बनायेगे।

# कार्यक्रम नई मंजिल नई रहे का उद्देश्य

दिव्यांग मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु संचालित कार्यक्रम ''***नई मंजिल नई राहे***'' का प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् है:–

– ***दिव्यांग मतदाताओं को मतदान का मुख्य धारा में लाना:–*** जनपद प्रतापगढ़ के दिव्यांग मतदाताओं को ''**नई मंजिल नई राहे**'' कार्यक्रम के तहत मताधिकार का महत्व समझाकर तथा आवश्यक सुविधाये उपलब्ध कराकर उनका मतदान कराते हुये चुनाव की मुख्य धारा में लाना।

– ***प्रशासिनक अधिकारियों एवं कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों, मीडिया कर्मियों मतदाता एव समाज के जागरूक व्यक्तियों में दिव्यागों के प्रति विशेष अनुराग का प्रयास करना:–*** लोकतन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति के मत का समान महत्व होता है एवं अधिक से अधिक लोगों की चुनाव प्रक्रिया में सहभागिता होने से लोकतान्त्रिक व्यवस्था मजबूत होने के साथ–साथ लोक तन्त्र में लोगो का विश्वास उत्पन्न होता है। इन्ही उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये, **''नई मंजिल नई राहे''** कार्यक्रम के तहत प्रशासिनक अधिकारियों एवं कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों, मीडिया कर्मियों मतदाता मित्रों एवं समाज के जागरूक व्यक्तियों को एक छत के नीचे लाकर दिव्यांग मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में शामिल कर मत प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

– ***जन प्रतिनिधियों एवं उम्मीदावारों में दिव्यागों के प्रति सोच में पर्रिवतन लाना:–*** शारीरिक एवं मानसिंक क्षमताओं की सीमाओं के कारण दिव्यांग आज भी समाज में अपेक्षित स्थान नही कर पाये है। इन्ही उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये एवं दिव्यांग की हीन भावना को समाप्त कर उनमें ''नई मंजिल नई राहे'' कार्यक्रम के तहत आत्म विश्वास पैदा करते हुये मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास एव जन प्रतिनिधियों एवं उम्मीदवारों में भी दिव्यागों के मताधिकार के प्रति सोच में बदलाव लाना है।

– ***दिव्यांग मतदाताओं का शत–प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करना:–*** दिव्यागों के लिये आवश्यक **व्हीलचेयर** एवं रैम्प की व्यवस्था तथा **''नई मंजिल नई राहे''** कार्यक्रम के तहत उन्हे मतदान स्थल तक पहुचाकर शत–प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने का प्रयास करना।

# जनपद प्रतापगढ़ में दिव्यांग का विवरण।

जनपद प्रतापगढ़ में कुल 07 विधानसभाओं में 14744 दिव्याग मतदाताओं का चिन्हाकन किया गया है इन दिव्यांग मतदाताओं में सर्वाधिक पैर से विकलांग मतदाता है। दिव्यांग मतदाताओं का विधान सभावार विवरण निम्नवत् हैः–

## विधानसभावार ऐसे मतदेय स्थलो की संख्या जहॉ पर दिव्यांग मतदाताओं का विवरण

| क्र0 | सभा संख्या व नाम | मतदेय स्थलो की कुल संख्या | टैग बूथों में दिव्यांग मतदाताओ की कुल संख्या | जहॉ दिव्यांग मतदान स्थल तक नही पहुच सकते केन्द्रों की संख्या | मतदान से स्थल तक न पहुच पाने वाले दिव्यागों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 244 रामपुरखास | 318 | 2167 | 14 | 186 |
| 2 | 245 बाबागंज(अ0जा0) | 324 | 1775 | 17 | 237 |
| 3 | 246 कुण्डा | 353 | 1644 | 10 | 136 |
| 4 | 247 विश्वनाथगंज | 414 | 2471 | 10 | 172 |
| 5 | 248 प्रतापगढ | 356 | 1776 | 28 | 440 |
| 6 | 249 पट्टी | 404 | 2768 | 38 | 441 |
| 7 | 250 रानीगंज | 337 | 2143 | 14 | 199 |
| **योग** | | 2506 | 14744 | 131 | 1811 |

# ''नई मंजिल नई राहे'' कार्यक्रम के अन्तर्गत दिव्यागों का मत प्रतिशत बढाने हेतु कार्य योजना

– जनपद प्रतापगढ़ के 07 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थिति कुल 2506 मतदेय स्थलों एवं जिलाधिकारी, कार्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय समस्त विधान सभा के सभी केन्द्र / मतदेय स्थलों पर रैम्प का निर्माण कराया जा चुका है।

– जनपद स्तर पर विधानसभावार एवं बूथवार बी0एल0ओ0, सुपर वाइजर, ए0आर0ओ0 के विशेष प्रयास से दिव्याग मतदाताओं का चिन्हाकंन कराया गया । चिन्हाकंन के उपरान्त ऐसे मतदेय स्थलों को अलग किया गया जहां पर दो या दो से अधिक दिव्यांग मतदाता चिन्हित किये गये तथा ऐसे बूथ जहां पर दिव्यांग मतदाताओं की संख्या शून्य थी उस पर विशेष ध्यान देते हुये पात्र दिव्यांग मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराया गया ।

– ऐसे बूथ जहां पर 02 या 02 अधिक दिव्यांग मतदाता है उनका चिन्हाकन करते हुये दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने में सहायता प्रदान करने हेतु मतदाता मित्र लगाये जाने की कार्य योजना बनायी गयी है । जिससे कि सभी दिव्यांग मतदाता सरलता से अपने मतदेय स्थलों पर पहुच सके तथा अपना मतदान कर सके।

– दिव्यांग अधिकारियों/कर्मचारियों/मतदान कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया जाना साथ ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने वालों के लिये विशेष व्यवस्था किया जाना।

– दिव्यागों हेतु स्थापित एवं कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सहयोग से मतदान सुनिश्चित कराये जाना।

– मतदान केन्द्र तक दिव्यागों की पहुॅच सरल एवं सुविधाजनक बनाने हेतु स्थलों पर लगे हुये पुलिस बल/ सेक्टर मजिस्ट्रेटों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना कि दिव्यांगा मतदाताओं को मतदान के समय मतदेय स्थल के पार्किग की सुविधा व उनके मतदेय स्थल के अन्दर पहुच की व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जा सके

– दिव्यांग मतदाताओं द्वारा किये गये मतदान का प्रतिशत जानने हेतु App विकसित करना, जिससे समय– समय पर दिव्यांग मतदाताओं द्वारा डाले गये वोटो की जानकारी प्राप्त हो सके और साथ ही वोटिंग हेतु अवशेष बचे दिव्यांग मतदाताओं का आंकलन किया जा सके।

–दिव्यांगों को मतदान से पूर्व मतदान हेतु प्रशिक्षण दिया जाना तथा मतदान कार्मिको को भी दिव्यांगों को मतदान के समय सभी आवश्यक सुविधाये उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशिक्षण पर बल दिया जाना।

– DEO, Portal एवं NIC Portal पर व्हील चेयर रिक्वेस्ट एंव मतदाता मित्र रिक्वेस्ट का विकल्प बनाया जाना एवं इसका प्रचार प्रसार करना जिससे कि आवश्यक व्यक्तियों को उपरोक्त सुविधाये उपलब्ध करायी जा सके।

– पोलिग बूथ पर दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु पिक्चर एवं सिम्बल के माध्यम से पार्किग मतदान बूथ अन्दर एवं बाहर जाने का रास्ता आदि को इंगित एवं प्रदर्शित करना।

– नामांकन कक्षो में दिव्यांग उम्मीदवारों को नामाकंन करने के लिये कक्षों के बाहर सुविधा युक्त रैम्पों का निर्माण करना और यदि किसी प्रत्याशी को नामांकन कक्ष में आने में असुविधा हो रही है, तो उसका नामांकन पत्र सम्बन्धित रिटनिग ऑफीसर द्वारा कक्ष के बाहर आकर नामांकन पत्र प्राप्त करने हेतु व्यवस्था करना।

– दिव्यागों का मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु उनकों प्रोत्साहित करने हेतु आइकान अलग से बनाना।

– सभी बी0एल0ओ0 को निर्देशित किया गया है कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदाता पर्ची बांटते समय विशेष घ्यान दिया जाय तथा मतदान करन हेतु सम्बन्धित दिव्यांग मतदाता को मतदान के महत्व को बताया जाना।

– प्रत्येक प्रशिक्षण में नियम–49 (N) के बारे में अधिकतम प्रचार प्रसार किया जाय तथा कम्पेनियन को दिव्यांग मतदाता के तुरन्त बाद वोटिग देने हेतु व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण में ही विशेष रूप से बताया जाना।

– मतदाता मित्रों, बी0एल0ओ0 द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को कैसे हैण्डिल करें कि यथा चढाते एवं उतारते समय व्हीलचेयर को कैसे प्रयोग कराना है ।

– सभी मतदाता मित्र को दिव्यांग की सुविधाओं का ख्याल रखने हेतु प्रशिक्षित किया जाना एवं इन्हे दिव्यांगों की सूची उपलब्ध कराना।

– जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक को दिव्यांग व्यक्तियों को व्हील चेयर गैर सरकारी संस्था एलिम्को द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। जिससे कि ये सभी मतदाता मतदान के दिन अपने मत का प्रयोग कर सके। सामान्य निर्वाचन 2017 में दिव्यागों को मतदान सहयोग के रूप में जनपद प्रतापगढ़ में सभी विधान सभा में कुल 131 व्हीलचेयर का वितरण 131 केन्दों पर कराया जाना है।